



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

(Government of India, Ministry of Power)



स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के पूर्व-प्रकाशित विनियमों के संबंध में अलर्ट

Alert regarding Pre-published Regulations of Stationary Storage type Electric Water Heater

30th June, 2022

As you may be aware that the star labelling program for Stationary Storage type Electric Water Heater is valid till 31st December, 2022. Based on the decisions of Technical Committee, BEE has proposed to upgrade the Star rating table of Stationary Storage type Electric Water Heater by 1 star level for a period of two years i.e. 1st January, 2023 to 31st December, 2024. The regulations for Stationary Storage type Electric Water Heater is to be revised by BEE which will be effective from 1st January, 2023.

In accordance with the provisions of the EC Act, the amendment regulations for Stationary Storage type Electric Water Heater has been pre-published in the Gazette of India vide F.No BEE/S&L/Water Heater/3/2015-16 dated 27th June, 2022.

Please note that the said draft regulations are open for public comments for a period of 30 days from 27th June, 2022. (A copy of the pre-published regulations is attached with this Alert)

Comments if any, on the draft regulations, may please be sent to nehakumari@beenet.in

Please note: Last date of receiving the comments is 26th July, 2022.

प्र. सामल

प्रभातनलिनी सामल

निदेशक



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236892
CG-DL-E-28062022-236892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944

No. 323]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

सं. बीईई/एस एवम् एल/ वॉटर हीटर/ 3/2015-16.—ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ढ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारण प्रकार वॉटर हीटर लेबल - प्रदर्शन विवरण और ढंग) संशोधन विनियमन 2022 को एतद्वारा उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख, जिसे इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, आर के पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110 066 को प्रेषित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप संशोधन विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आक्षेप या सुझावों पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) ये विनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारण प्रकार वॉटर हीटर लेबल - प्रदर्शन विवरण और ढंग) संशोधन विनियमन 2022 कहे जायेंगे।

2. विनियम के खंड 6 के तहत निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“6.लेबल के प्रदर्शन के लिये अनुमति - (1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति लिये बिना डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर कोई भी स्टार-लेबल नहीं लगाया जायेगा।

(2) **कंपनी पंजीकरण** - ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रत्येक ब्रैंड को प्रपत्र 1-(क) में विनिर्देश अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान योग्य एक लाख रुपये के लेबल सुरक्षा शुल्क के साथ पृथक पंजीकरण कराना होगा:

परन्तु यह उपबंधित है कि लघु उद्योग के मामले में लेबल सुरक्षा शुल्क केवल 25 हजार रुपये होगा।

(3) **मॉडल पंजीकरण**- उप-विनियमन (2) के तहत अनुमति प्राप्तकर्ता के प्रत्येक आवेदन के साथ-

(क) प्रति मॉडल दो हजार रुपये का, इलेक्ट्रिक माध्यम से भुगतान योग्य, आवेदन शुल्क और

(ख) फॉर्म I-ख में विनिर्दिष्ट प्रपत्र, होने चाहिये।”

3. खंड 7 के उपखंड 4 के तहत निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:

(4) स्टार रेटिंग प्लान के संशोधन के मामले में अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा अनुमति नवीकरण के लिये आवेदन इसके समाप्त होने से पहले के 6 महीने में करना होगा लेकिन यह हर हाल में समाप्ति से तीन महीने पहले होना चाहिये और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रिक माध्यम से भुगतान योग्य एक हजार रुपये का शुल्क होना चाहिये।

स्टार रेटिंग प्लान विस्तारित किये जाने के मामले में एक हजार रुपये का उक्त नवीकरण शुल्क नहीं लगेगा।

4. प्रपत्र I के तहत निम्नलिखित प्रपत्र I-क लगाया जाएगा।

प्रपत्र I-(क)**[विनियमन 6(2) देखें]****(कंपनी के लेटर हेड में छपा हो)**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर लेबल - प्रदर्शन विवरण और ढंग) संशोधन विनियमन 2022 के तहत स्थिर भंडारण प्रकार बिजली वॉटर हीटर ब्रैंड के पंजीकरण के लिये आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली- 110 066 भारत।

मैं/हम स्थिर भंडारण प्रकार विद्युत वॉटर हीटर का विनिर्माता /के विनिर्माता,.....(पूरा व्यावसायिक पता) मेंशीर्षक से संचालित व्यवसाय (व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम) के लिये ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारण प्रकार विद्युत वॉटर हीटर लेबल -प्रदर्शन विवरण और ढंग) विनियमन 2022, के अनुसार स्थिर भंडारण प्रकार विद्युत वॉटर हीटर पर लेबल लगाने की अनुमति के लिये आवेदन करना चाहता हूं/हैं।

उपकरण, कंपनी, विनिर्माण केंद्र और भुगतान के बारे में जानकारी का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। कंपनी रजिस्ट्रार या सोसायटी या उद्योग निदेशक (लघु इकाईयों के संदर्भ में) द्वारा जारी प्रमाणपत्र की फोटो प्रति या कंपनी और इसके विनिर्माण परिसरों की पुष्टि करने वाले समान अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

- (क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति:(नाम और पद), कंपनी/फर्म की ओर से या अन्य प्राधिकरणों की ओर से आवेदन करने के लिये अधिकृत है और वह आवेदन के साथ दी गयी जानकारी की सत्यता के लिये भी उत्तरदायी होगा।
- (ख) संपर्क व्यक्ति:(नाम और पद) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संदर्भ में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिये संपर्क व्यक्ति बनने के लिये अधिकृत है।
- (ग) मैं/हम उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकृत व्यक्तियों के संदर्भ में किसी बदलाव के बारे में ब्यूरो को जानकारी देने की जिम्मेदारी लेते हैं।

5. उक्त उपकरण के विनिर्माण और बिक्री तथा मूल्य संबंधी आंकड़ें मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के आधार पर इस प्रकार हैं:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये)
पिछले वर्ष.....सेतक			
वर्तमान वर्ष.....से.....तक (अनुमान)			

6. एक लाख रुपये या 25 हजार रुपये, जैसी भी स्थिति हो, का लेबल सुरक्षा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान कर दिया गया है (लेबल सुरक्षा शुल्क जमा करते समय ही भरा जाना है)।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल शुल्क के भुगतान के लिये सहमत हैं।

8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियम और शर्तें मानने के लिये और ब्यूरो को उसके द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच की स्थिति में आवश्यक सहायता/सहयोग उपलब्ध कराने के लिये सहमत हैं।

9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को पुष्टि और चुनौती परीक्षण के उद्देश्य से नमूनों के चयन के लिये अधिकृत करते हैं और इस बारे में ब्यूरो के निर्देशों के पालन के लिये सहमत हैं।

10. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दिया गया विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, और यदि कोई भी जानकारी गलत पायी जाये तो आवेदन रद्द कर दिया जाये।

दिनांक..... (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पद

कृते एवं ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मु

अनुलग्नक

प्रपत्र 1-(क) का पैरा 2 देखें

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
पंजीकरण के प्रमाण में प्रपत्र	हां/नहीं
(क) विनिर्माण या व्यवसाय परिसरों के नाम और पते की पुष्टि में दस्तावेज	
(ख) ट्रेड मार्क प्रमाणपत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाण पत्र, यदि व्यवहार्य हो	
(घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(ङ) अधिकृत अधोहस्ताक्षरी पत्र	
(च) भारतीय मानक ब्यूरो लाईसेंस, यदि व्यवहार्य हो	
(छ) ऑनलाइन किये गये भुगतान के लिये भुगतान प्राप्ति पावती	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक निर्माण इकाई के लिये अलग तालिका दी जा सकती है)

विनिर्माण इकाई का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य/देश	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य जानकारी (यदि हो)	

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

हस्ताक्षर

नाम

पद

कृते एवं ओर से.....

(फर्म का नाम) फर्म की मुह

5. प्रपत्र II के अंतर्गत प्रपत्र II-(क) रखना होगा।

प्रपत्र II- (क)

[विनियमन 7(1)(क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी स्टोरेज टाईप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर लेबल - प्रदर्शन विवरण और ढंग) विनियमन 2022 के तहत स्थिर भंडारण प्रकार बिजली वॉटर हीटर ब्रैंड के पंजीकरण के लिये अनुमति

नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में

.....
.....
.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी स्टोरेज टाईप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर लेबल - प्रदर्शन विवरण और ढंग) विनियमन 2022 के प्रावधानों के अनुसार ब्यूरो आपको अपना ब्रैंड इस पत्र के अनुलग्नक में निर्धारित अनुमोदनों के विवरण अनुसार पंजीकृत कराने की अनुमति देता है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है:-
 - (क) के लेबल पर लगाया गया स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित स्टेशनरी स्टोरेज टाईप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के ऊर्जा उपभोग मानकों और विनियमन के नियमों और शर्तों के अनुरूप होना चाहिये।
 - (ख) लेबल की मुहर केवल ऐसे स्थिर भंडारण प्रकार विद्युत वॉटर हीटर पर लगायी जाये जिसके लिये अनुमति दी गयी है।
 - (ग) स्थिर भंडारण प्रकार विद्युत वॉटर हीटर पर लेबल की छपाई और लगाये जाने का खर्च अनुमति प्राप्त कर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
 - (घ) अनुमति प्राप्त कर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि स्थिर भंडारण प्रकार विद्युत वॉटर हीटर पर लगाया गया स्टार लेबल हर समय बना रहे।
 - (ङ) अनुमति प्राप्तकर्ता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क करे।
 - (च) अनुमति प्राप्तकर्ता ब्यूरो के पास एक बयान जमा करेगा जिसमें लेबलयुक्त उपकरण के विनिर्माण और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के बाद वाले महीने में प्रत्येक तिमाही के प्रोद्भूत लेबल शुल्क का ब्योरा होगा। यह समान जानकारी एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी ब्यूरो में जमा करायी जायेगी।
 - (छ) अनुमति प्राप्तकर्ता अनुमति मंजूर करने वाले ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर स्थिर भंडारण प्रकार विद्युत वॉटर हीटर के अन्य विवरण भी उपलब्ध करायेंगे।
3. अनुमति प्राप्तकर्ता ब्यूरो की पूर्व अनुमति के सिवाय सत्यापन अवधि के दौरान पंजीकृत ब्रैंड और स्टेशनरी स्टोरेज टाईप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर बाजार से नहीं हटायेंगे।

4. ब्रैंड के लिये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदत्त विशिष्ट लेबल श्रृंखलाहै और इसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दर्शाया जाना चाहिये।
5. वर्ष.....के..... माह कीदिनांक पर हस्ताक्षरित और मुहरबंद।

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक

[प्रपत्र II- (क) का पैरा 1 देखें]

अनुमति विवरण

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	


2. पंजीकृत ब्रैंड का नाम
3. विशिष्ट श्रृंखला संहिता
4. अन्य विवरण, यदि व्यवहार्य हों
दिनांक

भवदीय

(सचिव)


ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

6. निम्नलिखित नमूना लेबल, प्रपत्र के अनुलग्नक की मद संख्या 3 के तहत प्रतिस्थापित किया जायेगा




7. विनियमन 2016 से संबद्ध निर्धारण (स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के लेबल पर दर्शाये जाने वाले विवरण) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा।


i. नमूना लेबल (नमूना लेबल का डिजाइन)



ii. परिमाण



iii. रंग योजना



बीईई लोगो की रंग योजना

नीला-

रंग (एच)-239o नमी(एस):64% चमक(बी):59%

प्रकाश या रोशनी(एल) :28, रंगीन अवयव -क:24 ख:54

लाल(आर):54 हरा(जी):55 नीला(बी):151

हल्का नीला(सी):97% मैजेंटा(एम):95% पीला(वाई):6% काला(के):1%

वेब कलर कोड - #363797

हरा -

रंग(एच)-150o नमी(एस):10% चमकीलापन(बी):67%

प्रकाश या रोशनी(एल) :61, रंगीन अवयव -क:-53 ख:32

लाल(आर):0 हरा(जी):170 नीला(बी):87

हल्का नीला(सी):81% मैजेंटा(एम):10% पीला(वाई):90% काला(के):1%

वेब कलर कोड - #00AA56;

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./147/2022-23]

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2022

No. BEE/S&L/Water Heater/3/2015-16.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency (the Bureau) with the previous approval of the Central Government, proposes to amend the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulation 2016, the proposed draft amendments are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary;

Any objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, North Wing, Sector-1, R.K.Puram, New Delhi-110066;

Objections or suggestions which may be received from the persons with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above, shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater), Amendment Regulations, 2022.

2. Under clause no. 6 of the regulation, the following clause shall be substituted:

“6. Permission for display of label. - (1) No star label shall be affixed on a Distribution Transformer without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) **Company registration.**— For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) **Model registration.**— Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
- (b) documents specified in Form I – (B).”

3. Under sub clause no. 4 of clause 7 of the regulation, the following shall be substituted:

“(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

In case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.”

4. Under Form I, Form I-(A) shall be inserted:

FORM I – (A)**[See regulation 6 (2)]****(To be printed in Company letter head)**

Application for registration of brand of Stationary Storage Type Electric Water Heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Stationary Storage Type Electric Water Heater heater) Regulations, 2022

To

The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of Stationary Storage Type Electric Water Heater carrying out business at..... (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Stationary Storage Type Electric Water Heater as specified by the

Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2022.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

- (a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.
- (b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
- (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from..... to.....			
Current year from..... to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of (Year)

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....

(Name of the firm) SEAL OF FIRM

ANNEXURE

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	Yes/No
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) payment receipt for payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm) Seal of the Firm

5. Under Form II, Form II-(A) shall be inserted:

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of Stationary Storage Type Electric Water Heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Stationary Storage Type Electric Water Heater heater) Regulations, 2022

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Stationary Storage Type Electric Water Heater shall conform to energy consumption standards for Stationary Storage Type Electric Water Heater notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model Stationary Storage Type Electric Water Heater for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixture of the label on the Stationary Storage Type Electric Water Heater at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the Stationary Storage Type Electric Water Heater shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee making available such other details of Stationary Storage type Electric Water Heater as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Stationary Storage type Electric Water Heater from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth, year.

Yours faithfully

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

Annexure
[See para 1 of Form II-(A)]
Details of Approvals

1. Details of the company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	


2. Name of the brand registered:**3. Unique series code:****4. Other details if applicable:**

Date:

Yours faithfully,


(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

6. Under item no. 3 of Annexure to form II, the following sample label shall be substituted:




7. In the schedule (Particulars to be displayed on labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) attached to regulations, 2016, the following shall be substituted:


(i) Sample Label (Design of the sample label);



(ii) Dimension



(iii) Colour Scheme



(i) Color Scheme of BEE logo:

BLUE –

Hue(H)-239o Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150o Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/147/Exty./2022-23]